



बिहार विधान सभा

कार्य सूची

सप्तदश विधान सभा
एकादश सत्र

वृहस्पतिवार, तिथि 29 फरवरी, 2024 ई०
10 फाल्गुन, 1945 (शक)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय - 11.00 बजे पूर्वाह्न)

प्रश्नोत्तर

1. अल्पसूचित एवं तारांकित प्रश्न तथा उनके उत्तर ।

ध्यानाकर्षण सूचनाएँ तथा उसपर सरकारी वक्तव्य

2. श्री राणा रणधीर, श्री विनोद नारायण झा एवं श्री मुरारी मोहन झा, स०वि०स० से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार [शिक्षा विभाग] की ओर से वक्तव्य ।
3. श्री सुदामा प्रसाद, स०वि०स० से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार [ग्रामीण विकास विभाग] की ओर से वक्तव्य ।

सभा के समक्ष प्रतिवेदनों का रखा जाना

4. बिहार विधान सभा की समितियों के प्रतिवेदनों का (यदि हो) सभा के समक्ष रखा जाना ।
5. याचिकाओं का उपस्थापन (यदि हो) ।

मध्याह्न-विराम (1.00 बजे अपराह्न से 2.00 बजे अपराह्न)

विधायी कार्य

राजकीय विधेयक

“बिहार तकनीकी सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2024”

6. सामान्य प्रशासन विभाग के प्रभारी मंत्री श्री नीतीश कुमार प्रस्ताव करेंगे कि “बिहार तकनीकी सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2024” को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।
7. सामान्य प्रशासन विभाग के प्रभारी मंत्री श्री नीतीश कुमार उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे ।
8. सामान्य प्रशासन विभाग के प्रभारी मंत्री श्री नीतीश कुमार प्रस्ताव करेंगे कि “बिहार तकनीकी सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2024” पर विचार हो ।
9. सामान्य प्रशासन विभाग के प्रभारी मंत्री श्री नीतीश कुमार प्रस्ताव करेंगे कि “बिहार तकनीकी सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2024” स्वीकृत हो ।

“बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2024”

30. शिक्षा विभाग के प्रभारी मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी प्रस्ताव करेंगे कि “बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2024” को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।
31. शिक्षा विभाग के प्रभारी मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे।
32. शिक्षा विभाग के प्रभारी मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी प्रस्ताव करेंगे कि “बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2024” पर विचार हो।
33. शिक्षा विभाग के प्रभारी मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी प्रस्ताव करेंगे कि “बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2024” स्वीकृत हो।

“बिहार राज्य मद्रसा शिक्षा बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2024”

34. शिक्षा विभाग के प्रभारी मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी प्रस्ताव करेंगे कि “बिहार राज्य मद्रसा शिक्षा बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2024” को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।
35. शिक्षा विभाग के प्रभारी मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे।
36. शिक्षा विभाग के प्रभारी मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी प्रस्ताव करेंगे कि “बिहार राज्य मद्रसा शिक्षा बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2024” पर विचार हो।
37. शिक्षा विभाग के प्रभारी मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी प्रस्ताव करेंगे कि “बिहार राज्य मद्रसा शिक्षा बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2024” स्वीकृत हो।

“बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2024”

38. अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के प्रभारी मंत्री श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव प्रस्ताव करेंगे कि “बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2024” को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।
39. अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के प्रभारी मंत्री श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे।
40. अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के प्रभारी मंत्री श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव प्रस्ताव करेंगे कि “बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2024” पर विचार हो।
41. अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के प्रभारी मंत्री श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव प्रस्ताव करेंगे कि “बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2024” स्वीकृत हो।

“बिहार राज्य महिला आयोग (संशोधन) विधेयक, 2024”

42. समाज कल्याण विभाग के प्रभारी मंत्री श्री श्रवण कुमार प्रस्ताव करेंगे कि “बिहार राज्य महिला आयोग (संशोधन) विधेयक, 2024” को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।
43. समाज कल्याण विभाग के प्रभारी मंत्री श्री श्रवण कुमार उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे।
44. समाज कल्याण विभाग के प्रभारी मंत्री श्री श्रवण कुमार प्रस्ताव करेंगे कि “बिहार राज्य महिला आयोग (संशोधन) विधेयक, 2024” पर विचार हो।
45. समाज कल्याण विभाग के प्रभारी मंत्री श्री श्रवण कुमार प्रस्ताव करेंगे कि “बिहार राज्य महिला आयोग (संशोधन) विधेयक, 2024” स्वीकृत हो।
46. अन्य नितान्त आवश्यक कार्य (यदि हो)।

राज कुमार


सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।

ज्ञाप सं०-कार्य०का०सू०-01/2024- 1085

/वि०स०, पटना, दिनांक- 28 फरवरी, 2024 ई०।

प्रतिलिपि :- माननीय सदस्यगण, बिहार विधान सभा के अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(राजीव कुमार)


निदेशक,

बिहार विधान सभा, पटना।

ज्ञाप सं०-कार्य०का०सू०-01/2024- 1085

/वि०स०, पटना, दिनांक- 28 फरवरी, 2024 ई० ।

प्रतिलिपि :- माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव / माननीय उप मुख्यमंत्रीगण के आप्त सचिव / माननीय मंत्रिगण के आप्त सचिव एवं माननीय नेता विरोधी दल के आप्त सचिव को क्रमशः माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्रीगण, माननीय मंत्रिगण एवं माननीय नेता विरोधी दल के अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।



(राजीव कुमार)

निदेशक,

बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप सं०-कार्य०का०सू०-01/2024- 1085

/वि०स०, पटना, दिनांक- 28 फरवरी, 2024 ई० ।

प्रतिलिपि :- मुख्य सचिव, बिहार/ राज्यपाल के प्रधान सचिव, बिहार/ सचिव, बिहार विधान परिषद् / संसदीय कार्य विभाग / विधि (विधान) विभाग / निदेशक, सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग / महाधिवक्ता बिहार, पटना उच्च न्यायालय / लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली / सरकार के समस्त विभागों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।



(राजीव कुमार)

निदेशक,

बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप सं०-कार्य०का०सू०-01/2024- 1085

/वि०स०, पटना, दिनांक- 28 फरवरी, 2024 ई० ।

प्रतिलिपि :- निदेशक, अध्यक्षीय कार्यालय / आप्त सचिव, उपाध्यक्षीय कार्यालय एवं प्रधान आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय एवं सचिव, बिहार विधान सभा के अवलोकनार्थ प्रेषित ।



(राजीव कुमार)


निदेशक,

बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप सं०-कार्य०का०सू०-01/2024- 1085

/वि०स०, पटना, दिनांक- 28 फरवरी, 2024 ई० ।

प्रतिलिपि :- बिहार विधान सभा के निदेशकगण/ संयुक्त निदेशक/ उप सचिवगण/ अवर सचिवगण / श्रव्य एवं दृश्य इकाई, बिहार विधान सभा को सूचनार्थ प्रेषित ।



(राजीव कुमार)

निदेशक,

बिहार विधान सभा, पटना ।